

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

**आदेश**

श्री राजेन्द्र प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज के विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 5023 दिनांक-15.09.2012 के द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :-

(i) स्थल लेखा एवं दैनिक प्रतिवेदन तथा मापी पुस्त में अंकित बोल्डर एवं क्रेट की मात्रा में भिन्नता पाया जाना।

(क) नारायणपुर :- स्थल लेखा में  $20449.95m^3$  पत्थर, दैनिक प्रतिवेदन में  $20375.95m^3$  तथा मापी पुस्त में  $20672.37m^3$  पत्थर की मात्रा प्रतिवेदित है। इसी प्रकार स्थल लेखा में 7561 क्रेट मापीपुस्त में 7721 क्रेट अंकित है। जिससे  $122.42m^3$  पत्थर एवं 160 क्रेट का अंतर परिलक्षित होता है।

(ख) सरकण्डा :- स्थल लेखा में  $13321.52m^3$  दैनिक प्रतिवेदन में  $12827.21m^3$  एवं मापी पुस्त में  $12759.79 m^3$  पत्थर की मात्रा अंकित की गई है। मापीपुस्तिका में 4783 क्रेट, श्रमपुस्त के अनुसार 4767 क्रेट दैनिक प्रतिवेदन में 4927 क्रेट अंकित है जो स्पष्टतः भारी अनियमितता को परिलक्षित करता है।

(ii) बोल्डर आपूर्तिकर्ता के नाम से आयकर/बिक्रीकर नहीं जमा कर कार्यपालक अभियंता के पदनाम से जमा कराया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है।

(iii) राजस्व की राशि को रोकड़ बही के प्राप्ति भाग में न दर्शाकर व्यय के रूप में प्रतिवेदित किया गया है।

(iv) बोल्डर की आपूर्ति कुल  $12574m^3$  पत्थर की मात्रा का सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध है। चालान के अनुसार मात्रा  $14328.23m^3$  की आपूर्ति ली गई है। शेष  $19103.934m^3$  पत्थर की तथाकथित आपूर्ति नियमों को ताक पर रखते हुए विभिन्न संवेदकों से ली गयी है। बोल्डर आपूर्ति हेतु खदान स्थल से कार्यस्थल तक लीड सत्यापन नहीं हुआ है।

(v) प्राक्कलन में किये गये प्रावधान के विरुद्ध जमशेदपुर के बदले जामताड़ा से तार क्रेट की आपूर्ति प्राप्त करना।

(vi) गुण-नियंत्रण प्रतिवेदन घटनोत्तर प्राप्त किये गये जो नियमानुकूल नहीं है।

(vii) वित्तीय अधिकार से बाहर जाकर आपूर्ति मद में भुगतान किया जाना।

(viii) बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में प्रयुक्त बोल्डर की गणना गोताखोर से नहीं कराना।

(ix) प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के साथ श्रमबल की स्वीकृति भी आवश्यक है, जो सक्षम पदाधिकारी से नहीं ली गयी है।

(x) उच्चस्तरीय तकनीकी जाँच समिति द्वारा खदान से चालान द्वारा प्राप्त बोल्डर की मात्रा को छोड़कर अन्य अनियमित तरीके से तथाकथित  $19103.93m^3$  बोल्डर एवं तदनुसार  $2.531m^3$  बोल्डर एवं प्रति क्रेट भरने की दर से कुल 7548 क्रेट के लिए किया गया भुगतान अधिकाई भुगतान है। बोल्डर की अधिकाई मात्रा  $19103.934m^3$  को रु० 457.94 प्रति घन की (ढुलाई सहित) की दर से रु० 87,48,455.00 तथा क्रेट की अधिकाई मात्रा 7548 क्रेट को रु० 1395 प्रति क्रेट की दर से



रु० 1,05,29,460 कुल रु० 1,92,77,915.00 की अधिकाई भुगतान हुआ है। इस प्रकार 192.78 लाख (लगभग) की सामग्री पर समानुपातिक रूप से लगभग रु० 25 लाख श्रमिक का भुगतान होता है। इस प्रकार कुल 217.78 लाख (लगभग) के अधिकाई भुगतान कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाई गई।

2. संचालन पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में मंतव्य दिया है कि श्री प्रसाद द्वारा सरकण्डा बाढ़ निरोधात्मक कार्य में 12761.63m<sup>3</sup> बोल्टर की आपूर्ति कार्य किय गया है, जिसमें 12574m<sup>3</sup> का चालान सत्यापित है एवं 187.63m<sup>3</sup> दुगुने दर पर रॉयल्टी जमा किया गया है। लीड का सत्यापन नहीं कराया गया है। क्रेट की आपूर्ति जमशेदपुर से नहीं लेकर बरहेट जिला साहेबगंज से लिया गया है। गुण-नियंत्रण की भी घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त किया गया है। श्रमबल की स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया है। इस तरह अनियमितता परिलक्षित होता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता को उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए प्रस्तावित दण्ड – (क) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। (ख) तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

4. श्री प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य शामिल नहीं किया गया है, संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित अपने बचाव बयान में जो तथ्य दिये गये थे, उसे ही दुहराया गया है।

5. उपरोक्त स्थिति में मामले की गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई जिसमें पाया गया कि सरकण्डा बाढ़ निरोधात्मक कार्य के लिए 12761.63m<sup>3</sup> बोल्टर की आपूर्ति ली गयी जिसमें 12574m<sup>3</sup> का चालान सत्यापित किया गया। शेष 187.63m<sup>3</sup> की रॉयल्टी दुगुने दर पर काटी गई। लीड का सत्यापन नहीं कराया गया। क्रेट की आपूर्ति जमशेदपुर के बदले बरहेट जिला साहेबगंज से लिया गया। जो अनियमितता प्रमाणित करता है।

अतः श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड अधिस्थापित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है :-

(क) दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 583 राँची/दिनांक 31-01-18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/उप सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-2, जल संसाधन विभाग, राँची/श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल सं०-2, गढ़वा/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव